कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**श्री हरभजन चावला, प्रबन्धक सर्वश्री नाईलक्स पाइप, अन्टा चौराहा, शाहजहाँपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**17 / 12**
प्रार्थी की ओर से	**श्री हरभजन चावला, प्रबन्धक।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-17 / 12, दिनांक 02.03.12 प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत **बिना बुनी हुई लोहे के पाइप से बनी चारपाई (केवल ढांचा)**, पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री हरभजन चावला, प्रबन्धक उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया उनके द्वारा लोहे के पाइप को आपस में जोड़कर चारपाई का केवल ढांचा बनाया जाता है तथा चारपाई पूर्ण खाट बनाने वालों के लिए कच्चा माल माना जाता है। अत: ऐसी बिना बुनी हुई चारपाई का ढांचा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी के अन्तर्गत इन्डस्ट्रीयल इनपुट के अन्तर्गत आयगा अथवा नहीं। अवगत कराया कि आजकल लकड़ी की कमी के कारण लोहे के पाइप को चार कोनों में बेल्डिंग करके चारपाई बनायी जाती है।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन के पत्रांक-110, दिनांक 19.04.12, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बरेली सम्भाग-बी के पत्र संख्या-90, दिनांक 17.04.12 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, शाहजहाँपुर के पत्र संख्या-13, दिनांक 11.04.12 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनूसूची-1, 2, 3, 4 में कहीं पर भी **बिना बुनी हुई लोहे के पाइप से बनी चारपाई** को वर्गीकृत / सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: ऐसी परिस्थिति में बिना बुनी हुई लोहे से बनी चारपाई पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता बनेगी।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली, अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया पाया गया कि बिना बुनी हुई लोहे के पाइप से बनी चारपाई उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी भी अनुसूची-1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं है। यह न ही इण्डस्ट्रियल इनपुट है तथा न ही इन्डस्ट्रियल इनपुट के रूप में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी में वर्गीकृत है। अत: **बिना बुनी हुई लोहे के पाइप से बनी चारपाई (केवल ढांचा)** पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 मई, 2012

ह0 / 22.05.2012

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।